

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/220/2012/ 1078

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री आर. आर. मेहता	AS3419	शा. हाईस्कूल टिकारी जिला सिवनी	प्रभारी प्राचार्य शा. उमावि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस उमावि सिवनी 23440177703
2	श्री पुष्पनारायण तिवारी	BP8672	शा. हाईस्कूल पिपरांव जिला सीधी	शा. हाईस्कूल मझटोलवा रामनगर जिला सतना 23130666614
3	श्री अशोक लोढा	BI5145	शा. हाईस्कूल प्रीतमनगर रतलाम	शा. हाईस्कूल सेमलिया जिला रतलाम 23200566601
4	श्री मनजीत सिंह	BD6745	शा. हाईस्कूल लार खुर्द जिला टीकमगढ़	शा. क.हाईस्कूल बड़ागांव जिला टीकमगढ़ 23080666609
5	श्री संतोष कुमार तिवारी	AW6915	शा. हाईस्कूल गढवा जिला रीवा	शा. हाईस्कूल खड्डा सिरमौर जिला रीवा 23140466616
6	श्रीमती अनिता शर्मा	AK7892	शा. हाईस्कूल पंडोखर जिला दतिया	शा. हाईस्कूल सुरजनपुर जिला मुरैना 23020366618
7	श्री हीरामणी प्रजाप्रति	BC4641	शास.हाईस्कूल विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली	शा. हाईस्कूल प्रतापगंज जिला रीवा 23140766602
8	श्रीमती लघिमा सक्सेना	BE3592	शा. हाईस्कूल दीपगांव जिला देवास	शा. हाईस्कूल नजरपुर घटिया जिला उज्जैन में श्रीमती लीली गोराना की सेवानिवृत्ति उपरांत पद रिक्त होने पर

01

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 3/ उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।
- 4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

(Signature)
13/7/12
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.कमांक/स्था-1/राज/पी/220/2012/ 1079
प्रतिलिपि:-

- 1 .निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 3 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 4 संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
- 5 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
- 6 संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 7 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
- 9 संबंधित संस्था प्राचार्य
- 10 संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(Signature)
13/7
आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/220/2012/ 1080 भोपाल, दिनांक 13/7/2012

// आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का प्रशासनिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।


स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री गणेश फरदे	AC4989	शास. हाईस्कूल सुनारककोडी वि.ख. लांजी जिला बालाघाट	शा. नवीन हाईस्कूल घंसा बालाघाट 23459966604
2	श्रीमती लालकुंवर राठौर	AK4174	शा. हाईस्कूल मोरिया जिला रतलाम	शा. हाईस्कूल सोहनगढ़ पिपलौदा जिला रतलाम 23200466614
3	श्री आर. के. पाण्डेय	AM8609	शा. हाईस्कूल फफूद महु जिला इंदौर	शा. हाईस्कूल सिरपुर जिला इंदौर 23260166618
4	श्री राजेश सिंह	AM6688	शा. हाईस्कूल सिरपुर जिला इंदौर	शा. हाईस्कूल फफूद महु जिला इंदौर 23260266619
5	श्री श्याम सिंह रघुवंशी (डीपीसी)	-	प्रतिनियुक्ति से वापसी उपरांत कार्य. लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.	शा. नवीन हाईस्कूल सिवनी खपरिया जिला हाशंगाबाद 23370766605
6	श्री बंश गोपाल पनिका	AM6688	शा. हाईस्कूल कुशमहर जिला सीधी	शा. हाईस्कूल सिरसी जिला सीधी 23170666610
7	श्री जय नारायण मेहता	BF2034	शा. हाईस्कूल फ्रीगंज बासौदा जिला विदिशा	प्रभारी प्राचार्य शा. उमावि राजेन्द्र नगर बासौदा जिला विदिशा 23310177706
8	श्री अफाक अहमद सिद्दीकी	BI4797	शा. हाईस्कूल सेमलिया माजरा पिपलौदा जिला रतलाम	शा. हाईस्कूल सिमलावदा जिला रतलाम 23200566608

9	श्री रघुवंश गुरुदेव	AF7376	शा. हाईस्कूल कटहरा लवकुश नगर जिला छतरपुर	शा. हाईस्कूल मुंगवारी बडामलेहरा जिला छतरपुर 23090166617
10	श्री किशोरीलाल झारिया	AC5641	शा. हाईस्कूल केसलेवाड़ा किरनापुर जिला बालाघाट	शा. हाईस्कूल बगलई जिला सिवनी 23440688802
11	श्री बृजेश कुमार पटवा	AI4336	शा. हाईस्कूल जिगना जिला दतिया	शा. हाईस्कूल दुर्गापुर जिला दतिया 23050166633
12	श्रीमती निर्मला सिंह	AX3964	प्रभारी प्राचार्य शा उमावि अजगरा जिला रीवा	प्रभारी प्राचार्य शा. उमावि बिलकिसगंज जिला सीहोर 23330577708
13	श्रीमती सोहागवती चक्रवर्ती	AA2619	शा. हाईस्कूल ईटखेड़ी रायसेन	शा. हाईस्कूल बगरौदा भोपाल 23320266611
14	श्रीमती रेखा कामदार	AP1406	शा. हाईस्कूल गोगवां जिला खंडवा	शा. हाईस्कूल सूलगवं जिला खरगौन 23271366619
15	श्री रघुनाथ प्रसाद कोल	AS1865	शा. हाईस्कूल बिलगुवा नरसिंहपुर	शा. हाईस्कूल कालादेही जिला जबलपुर —
16	श्री शरद खंडेलवाल	BU8352	शा. हाईस्कूल रानककोड़ी किरनापुर जिला बालाघाट	शा. हाईस्कूल नवेगांव जिला बालाघाट 23450166620
17	श्री अशोक पंचभावे	AC9870	शा. हाईस्कूल घोटी लालबर्सा जिला बालाघाट	शा. हाईस्कूल देवगांव, किरनापुर जिला बालाघाट 23450966606
18	श्री इन्द्रपाल सिंह चंदेल	AT6434	शा. हाईस्कूल नयापुरा नसरुल्लागंज जिला सीहोर	प्रभारी प्राचार्य शा. बा. उमावि देवरी जिला रायसेन 23340777703

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।
- 3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये ।
- 4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।

08

- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा ।
- 8/ उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए ।
- 9/ जो प्राचार्य वर्तमान कार्यरत संस्था में तीन वर्ष या इससे कम अवधि से पदस्थ है, उन्हें नवीन संस्था हेतु कार्यमुक्त न किया जाए । यदि प्राचार्य स्वेच्छा से स्थानांतरित संस्था हेतु जाना चाहता है तो उससे इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर स्थानांतरित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ।
- 10/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
- “प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/220/2012/
प्रतिलिपि:-

1081

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित संस्था म0प्र0 ।
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/209/2012/ 1082 भोपाल, दिनांक 13/7/2012

// आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का प्रशासनिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती विनया काले	BD8247	शा. हाईस्कूल जूनारिसाला जिला इंदौर	प्रभारी प्राचार्य शा. उ.मा.वि. संयोगितागंज इंदौर 23260177720
2	श्री मुकेश मेहता	BB6817	प्रभारी प्राचार्य शा. उमावि खरई जिला शिवपुरी	शा. हाईस्कूल सिंह निवास जिला शिवपुरी 23060166605
3	श्रीमती मंजूलता गुप्ता	AU9143	शा. क. हाईस्कूल बोदा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़	प्रभारी प्राचार्य शा. क.उमावि पचौर जिला राजगढ़ 23300477705

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये।

4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए।

5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।


7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाएगा।

8/ उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।

9/ जो प्राचार्य वर्तमान कार्यरत संस्था में तीन वर्ष या इससे कम अवधि से पदस्थ है, उन्हें नवीन संस्था हेतु कार्यमुक्त न किया जाए। यदि प्राचार्य स्वेच्छा से स्थानांतरित संस्था हेतु जाना चाहता है तो उससे इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर स्थानांतरित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।

10/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

“प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”



आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/209/2012/ 1083
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था म0प्र0।
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/209/2012/

1088

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//


लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्रीमती अनीता श्रीवास्तव	AT4955	शा.हाईस्कूल चींच जिला सीहोर	शा. हाईस्कूल आशापुरी जिला रायसेन 23340466618

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल विद्यालय में हाईस्कूल प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है, तो संबंधित को कार्यमुक्त न करें।

4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


13/7

आयुक्त


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/209/2012/
प्रतिलिपि:-

1089

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था प्राचार्य
10. संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त 13/7

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/208/2012/ 1094 भोपाल, दिनांक 13/7/2012


// आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का प्रशासनिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत् संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री बी. एम. परिहार	BE3583	शा. हाईस्कूल चामलेश्वर बड़नगर जिला उज्जैन	शा. हाईस्कूल सिंधीपुरा जिला बुरहानपुर 23480266636
2	श्री संजय श्रीवास्तव	AF7381	शा. हाईस्कूल मढदेवरा बक्सवाहा जिला छतरपुर	शा. हाईस्कूल बंधीकला ईशानगर जिला छतरपुर 23090566619
3	श्री एल. एन. प्रजापति	AL6839	शा. हाईस्कूल मालापाट सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद	शा. नवीन हाईस्कूल सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद 23370766601
4	श्री मोहम्मद अकरम	AM2825	शा. नवीन हाईस्कूल सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद	शा. हाईस्कूल चिरुला जिला हरदा 23360377704

- 2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये।
- 4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए।
- 5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।
- 6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
- 7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वॉइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जाएगा।


- 8/ उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।
- 9/ जो प्राचार्य वर्तमान कार्यरत संस्था में तीन वर्ष या इससे कम अवधि से पदस्थ है, उन्हें नवीन संस्था हेतु कार्यमुक्त न किया जाए। यदि प्राचार्य स्वेच्छा से स्थानांतरित संस्था हेतु जाना चाहता है तो उससे इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर स्थानांतरित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- 10/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
- “प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार”


 आयुक्त
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/208/2012/ 10 95
 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
4. संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
6. संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संस्था म0प्र0।
10. संबंधित जन
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 आयुक्त
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/208/2012/ 1096

भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//


लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य हाईस्कूल का स्वेच्छिक आधार पर समान सामर्थ्य एवं समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है।

स. क्र.	नाम	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत् संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री बी. एस. इंदौलिया	AR2642	शा. हाईस्कूल नूराबाद जिला मुरैना	शा. हाईस्कूल सरसैनी जिला मुरैना 23020566602
2	श्री हेमंत कुमार मेहुरिया	AK9016	शा. हाईस्कूल मुरैरा जिला दतिया	शा. हाईस्कूल प्राणपुर चन्देरी जिला अशोकनगर 23460566601
3	श्री शिव प्रसाद साकेत	AX3841	शा. हाईस्कूल गढ़वा खुर्द जिला सतना	शा. हाईस्कूल खजुहा जिला रीवा 23140166601
4	श्री राजीव कुमार बंधरिया	AI5565	शा. हाईस्कूल हथलई जिला दतिया	शा. हाईस्कूल बनवार जिला ग्वालियर 23040266602
5	श्रीमती मीना मालवीय	AZ5567	शा. हाईस्कूल धोबीसरा बरघाट जिला सिवनी	शा. हाईस्कूल बम्होड़ी जिला सिवनी 23440266613

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012-13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये।

3/ उपरोक्त स्थानान्तरण से हाईस्कूल संस्था में प्राचार्य की दोहरी पदस्थापना होती है तो कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।

4/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


आयुक्त


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 13/7/2012

पृ.क्रमांक/स्था-1/राज/पी/208/2012/ 1097
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

- 3 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 4 संबंधित कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश।
- 5 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला मध्यप्रदेश।
- 6 संबंधित संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
- 7 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
- 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी जिला मध्यप्रदेश।
- 9 संबंधित संस्था प्राचार्य
- 10 संबंधित जन

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त १५/१७
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
२